O/C

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 339

दुर्ग, दिनांक – 28/9/26

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 160
दिनांक: 28/07/2026

श्री के. व्ही. रमेश
पिता श्री के. व्ही. महादेव राव
प्लॉट नं. 70, सड़क नं. 3, शक्ति विहार, रिसाली,
भिलाई
बी.पी. नं. : **1002224993**
मो. नं. : **9926918752**

आवेदक

विरुद्ध

1. कार्यपालन यंत्री, भिलाई सिटी डिवीजन वेस्ट,
   सीएसपीडीसीएल, भिलाई।
2. सहायक यंत्री, रिसाली जोन,
   सीएसपीडीसीएल, भिलाई।

आवेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 23 / 09 / 2026 को पारित किया गया)

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक, सीएसपीडीसीएल से सेवानिवृत्ति कर्मचारी, ने अपने घरेलू विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह शिकायत प्रस्तुत की गई है कि उसे पूर्व में विद्युत देयक में 50 प्रतिशत विभागीय छूट प्राप्त हो रही थी, जिसे बिना किसी पूर्व सूचना के अनावेदक गण द्वारा बंद कर 25 प्रतिशत छूट लागू कर दी गई तथा पूर्व में प्रदान की गई अतिरिक्त छूट की राशि के रूप में रु. 17,595.87/– की वसूली हेतु मांग की गई है।

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत कथन

आवेदक का मुख्य कथन है कि वह सीएसपीडीसीएल का सेवानिवृत्त कर्मचारी है तथा जुलाई 2022 में सेवानिवृत्त हुआ था। उसके अनुसार, विभाग के अभिलेखों एवं SAP प्रणाली में उसकी सेवानिवृत्ति की जानकारी उपलब्ध थी। अतः सेवानिवृत्ति के पश्चात यदि 50 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत विभागीय छूट देय थी, तो छूट की श्रेणी में परिवर्तन करना अनावेदकगण की जिम्मेदारी थी। लगभग चार वर्ष पश्चात आवेदक के छूट के श्रेणी को परिवर्तित करते हुए अतिरिक्त छूट की राशि की वसूली किया जाना उचित नहीं है।

3. निर्विवाद तथ्य

मामले में उपलब्ध अभिलेखों एवं उभय पक्षों के कथनों के आधार पर निम्न तथ्य निर्विवाद हैं :-

1. आवेदक के नाम पर घरेलू प्रयोजन हेतु विद्युत कनेक्शन है, जिसका बी.पी. क्रमांक 1002224993 है।

2. आवेदक सीएसपीडीसीएल में कार्यरत था तथा जुलाई 2022 में सेवानिवृत्त हुआ।

3. आवेदक की सेवानिवृत्ति के पश्चात भी उसके विद्युत देयक में पूर्ववर्ती विभागीय छूट की श्रेणी के अनुसार 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाती रही।

4. आवेदक की शिकायत के साथ प्रस्तुत अतिरिक्त कथन

आवेदक श्री के. व्ही. रमेश द्वारा प्रस्तुत शिकायत के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त कथन किए गए हैं :-

1. आवेदक सीएसपीडीसीएल में कार्यपालन यंत्री, नगर पश्चिम, भिलाई के कार्यालय में निज सहायक के पद पर कार्यरत था तथा जुलाई 2022 में सेवानिवृत्त हुआ।

2. आवेदक के अनुसार उसकी सेवानिवृत्ति संबंधी समस्त जानकारी कंपनी के SAP सिस्टम में उपलब्ध थी तथा सेवानिवृत्ति आदेश भी पूर्व में जारी किया गया था।

3. सेवानिवृत्ति के समय विभाग द्वारा नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र जारी किए जाने तथा सेवानिवृत्ति स्वत्वों एवं पेंशन आदि का भुगतान किए जाने का भी आवेदक द्वारा उल्लेख किया गया है।

4. आवेदक का कथन है कि शासन द्वारा घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विद्युत देयक में 50 प्रतिशत छूट की योजना लागू की गई थी तथा उसका लाभ अन्य घरेलू उपभोक्ताओं की भांति उसे भी प्राप्त हुआ।

5. आवेदक का कहना है कि सेवानिवृत्ति आदेश अथवा कार्यमुक्ति आदेश में उसे यह निर्देश नहीं दिया गया था कि वह अपनी सेवानिवृत्ति की सूचना पृथक रूप से संबंधित विद्युत कार्यालय में जाकर दे।

6. आवेदक के अनुसार, अनावेदक कंपनी के पास उसकी सेवानिवृत्ति से संबंधित समस्त अभिलेख उपलब्ध थे। अतः यदि सेवानिवृत्ति के पश्चात छूट की श्रेणी में परिवर्तन किया जाना आवश्यक था, तो यह कार्य अनावेदकगण द्वारा समय पर किया जाना चाहिए था।

7. आवेदक का यह भी कथन है कि लगभग चार वर्ष तक 50 प्रतिशत छूट दिए जाने के पश्चात अचानक अतिरिक्त छूट की राशि की वसूली किया जाना उचित नहीं है।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार आवेदक के परिसर में स्थापित विद्युत कनेक्शन, बी.पी. नं. 1002224993, पर माह अक्टूबर 2025 तक LV1DL1BD25 टैरिफ लागू था, जिसके तहत आवेदक को बिजली बिल में 50% विभागीय छूट प्राप्त हो रहा था

अनावेदकगण के अनुसार आवेदक की सेवानिवृत्ति दिनांक 01.08.2022 को हो चुकी थी, किंतु आवेदक द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति की सूचना संबंधित कार्यालय को नहीं दी गई। इस कारण विद्युत देयक में उसे पूर्ववत 50 प्रतिशत विभागीय छूट प्रदान होती रही।

माह नवंबर 2025 में आवेदक के टैरिफ को LV1DL1RE25 में परिवर्तित किया गया। टैरिफ में परिवर्तन किए जाने के पश्चात अगस्त 2022 से अक्टूबर 2025 की अवधि में नियमानुसार देय 25 प्रतिशत छूट के स्थान पर पूर्व में प्रदान की गई 50% छूट का अंतर रु. 17,595.87/- निर्धारित किया गया तथा उक्त राशि की वसूली हेतु मांग की गई।

5. विचारणीय प्रश्न

उभय पक्षों के कथनों, उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रकरण की परिस्थितियों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है :-

क्या आवेदक की जुलाई 2022 में सेवानिवृत्ति के पश्चात भी लगभग तीन वर्षों से अधिक अवधि तक विभागीय सेवा निवृत कर्मचारि को दी जाने वाली 25% छूट के विद्युत देयक में 50 प्रतिशत विभागीय छूट प्रदान किए जाने के कारण उत्पन्न अतिरिक्त छूट की राशि रु. 17,595.87/- की वसूली अनावेदकगण द्वारा किया जाना नियमानुसार उचित है?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों, उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का सम्यक् परीक्षण किया गया

यह तथ्य विवादित नहीं है कि आवेदक सीएसपीडीसीएल का कर्मचारी था एवं सेवानिवृत होने से पूर्व तक विभागीय 50% छूट की पात्रता थी तथा जूलाई वर्ष 2022 में सेवानिवृत्त होने के पश्चात नियमानुसार 25% छूट की पात्रता लागू होती है लेकिन अभिलेखों से स्पष्ट है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात भी आवेदक के विद्युत कनेक्शन पर पूर्व में लागू विभागीय छूट के अनुसार 50 प्रतिशत छूट प्रदान होती रही।

अनावेदकगण के अनुसार, आवेदक सेवानिवृत्ति के पश्चात 25 प्रतिशत विभागीय छूट का पात्र था तथा सेवानिवृत्ति की सूचना संबंधित कार्यालय को नहीं दिए जाने के कारण टैरिफ श्रेणी में समय पर परिवर्तन नहीं हो सका। फलस्वरूप माह अक्टूबर 2025 तक 50 प्रतिशत छूट प्रदान होती रही। माह नवंबर 2025 में टैरिफ

श्रेणी में परिवर्तन किए जाने के उपरांत अतिरिक्त रूप से प्रदान की गई छूट की राशि रु. 17,595.87/– निर्धारित की गई।

फोरम यह पाता है कि आवेदक की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसके विद्युत कनेक्शन की छूट श्रेणी में परिवर्तन किया जाना आवश्यक था। केवल इस आधार पर कि सेवानिवृत्ति संबंधी अभिलेख कंपनी के अन्य कार्यालयों अथवा SAP प्रणाली में उपलब्ध थे, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि विद्युत कनेक्शन की रिबेट श्रेणी स्वत: परिवर्तित हो गई थी अथवा आवेदक को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी।

आवेदक द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि सेवानिवृत्ति के समय विभाग द्वारा नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र जारी किया गया था। फोरम का मत है कि सेवानिवृत्ति स्वत्वों के भुगतान हेतु जारी नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र का विद्युत कनेक्शन पर लागू विभागीय रिबेट की पात्रता से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अत: केवल नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के आधार पर विद्युत बिल में लागू रिबेट को सही अथवा परिवर्तित माना जाना उचित नहीं है।

जहां तक आवेदक द्वारा शासन की घरेलू विद्युत उपभोक्ता छूट योजना का लाभ दिए जाने का प्रश्न है, फोरम यह स्पष्ट करता है कि आवेदक को शासन द्वारा घोषित किसी सामान्य घरेलू उपभोक्ता योजना के अंतर्गत यदि कोई छूट नियमानुसार देय है, तो उसकी पात्रता का पृथक रूप से परीक्षण किया जाना आवश्यक है। ऐसी किसी योजना की पात्रता को विभागीय सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए लागू रिबेट से स्वत: समायोजित नही माना जा सकता।

फोरम के समक्ष उपलब्ध अभिलेखों से यह स्थापित होता है कि आवेदक को उसके सेवानिवृत्ति के पश्चात भी ऐसी रिबेट प्रदान होती रही, जिसके लिए वह विभागीय नियमों के अनुसार पात्र नहीं था। अत: रिबेट श्रेणी को सही किया जाना तथा नियमानुसार अतिरिक्त रूप से प्रदान की गई छूट की राशि का निर्धारण किया जाना उचित है।

जहां तक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56(2) के अंतर्गत दो वर्ष से अधिक पुराने बकाये की वसूली पर रोक का प्रश्न है, फोरम का मत है कि वर्तमान प्रकरण में विवादित राशि मूल विद्युत उपभोग के संबंध में बकाया राशि न होकर पूर्व में बिलिंग में प्रदान की गई अतिरिक्त रिबेट/छूट के समायोजन से संबंधित है। अनावेदकगण द्वारा उक्त विसंगति की पहचान नवंबर 2025 में की गई तथा उसके पश्चात अतिरिक्त रिबेट की राशि निर्धारित की गई। अत: उपलब्ध तथ्यों के आधार पर धारा 56(2) के प्रावधान को वर्तमान मामले में लागू करना उचित नहीं पाया जाता है।

अत: फोरम इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदक की सेवानिवृत्ति के पश्चात लागू नियमों के अनुसार रिबेट श्रेणी में आवश्यक संशोधन किया जाना तथा नियमानुसार अतिरिक्त रूप से प्रदान की गई छूट की राशि की वसूली किया जाना उचित है।

आवेदक द्वारा किश्तों में भुगतान का अनुरोध किए जाने की स्थिति में अनावेदकगण द्वारा प्रचलित नियमों के अनुसार किश्त सुविधा पर विचार किया जाना भी उचित होगा।

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम निम्नानुसार आदेश पारित करता है :-

1. अनावेदकगण द्वारा सेवानिवृत्त विद्युत कर्मचारियों पर लागू प्रचलित नियमों एवं आदेशों के अनुसार आवेदक के विद्युत कनेक्शन की विभागीय रिबेट/टैरिफ छूट श्रेणी को सही किया जाना उचित है।

2. अगस्त 2022 से अक्टूबर 2025 की अवधि के दौरान आवेदक को नियमानुसार देय छूट से अधिक प्रदान की गई रिबेट की राशि की वसूली, प्रचलित नियमों के अधीन, उचित है।

3. आवेदक द्वारा वसूली योग्य राशि के भुगतान हेतु किश्तों में भुगतान का आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर अनावेदकगण प्रचलित नियमों के अनुसार किश्त सुविधा प्रदान करने के आवेदन पर उचित कार्रवाई करें।

4. यदि आवेदक इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, 2, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छत्तीसगढ) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

5. आदेश पारित

6. प्रकरण निराकृत

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. संजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग